डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1981 (आश्विन 4, 1903)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1981 (ASVINA 4, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate pagination is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	643
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1227
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1319
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1977
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	3033
भाग II—खंड 3-(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	569
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	353
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	11183
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	499
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	109
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2517
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	187
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	643
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1227
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1319
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1977
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3033
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	353
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	11183
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	499
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	109
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2517
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	187
PART V.—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1981

सं. 63-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्ति को "उत्तम जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

60593 प्रशिक्षार्थी श्री त्सोरिंग, (मरणोपरांत)
छिओमफेल,
तिब्बती नई बस्ती,
मकान नं. 13, कैंप नं. 4, पैमागांग,
डाकघर बाइलाकुप्पे,
कर्नाटक।

7 अप्रैल, 1980 को प्रशिक्षार्थी श्री त्सोरिंग छिओमफेल, इस्टैब्लिशमेंट के मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट पार्क में काम कर रहे थे। बटालियन लाइन्स के पास रहने वाले हैडक्वार्टर्स में काम करने वाले सिविलियन्स् के कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे थे। उनमें से दीपक नाम का एक लड़का फिसल गया और पहाड़ी की ढलान में लुढ़कता हुए एक झाड़ी में जा अटका। श्री छिओमफेल ने बच्चे को गिरते हुए देखा, वे दौड़कर उस स्थान पर गए और बच्चे को ऊपर खींच लिया, परन्तु ऐसा करते हुए वे स्वयं अपना संतुलन खो बैठे और लगभग 92 मीटर सीधे नीचे जा गिरे और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई।

श्री त्सोरिंग छिओमफेल ने अपनी जान के लिए भारी खतरे की परवाह न करते हुए परिस्थिति के अनुसार बच्चे की जान बचा कर साहस एवं तत्परता का परिचय दिया।

सं. 64-प्रेज/81—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को "जीवन रक्षा पदक" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं:—

1. 9082282 राइफलमैन तीरथ सिंह,
11 जाक लाइट इन्फैन्टरी,
द्वारा 99 ए पी ओ।

21 जुलाई, 1979 को इन्फैन्टरी ब्रिगेड की एक टन भारी गाड़ी जम्मू व कश्मीर में नागली की तरफ दुरंगली नाली पार कर रही थी। अचानक तूफान आने से यह गाड़ी अपनी मार्ग छोड़ कर तेजी से बहते हुए पानी में गिर गयी। परिणामस्वरूप; गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति तथा उसमें रखा हुआ कीमती उपस्कर तेजी से बहने लगा।

राइफलमैन तीरथ सिंह उस समय सालाना छुट्टी पर थे और अपने मकान की छत पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह देखा कि गाड़ी तेजी से बहती जा रही है तो वे दौड़कर घटनास्थल पर आये और विपदाग्रस्त कार्मिकों की मदद के लिए उमड़ते नाले में कूद पड़े। इस तरह उन्होंने गाड़ी में बैठे दो व्यक्तियों को बचा लिया हालांकि वह स्वयं जख्मी हो गये। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उन्होंने बहते हुए अधिकांश कीमती उपस्कर को भी बहने से बचा लिया।

राइफलमैन तीरथ सिंह ने दो व्यक्तियों की जान बचाने के अतिरिक्त कीमती उपस्कर बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

2. श्री बाथिना भूमनन्दम,
दरवाजा नं. 12/402, रुस्तम बाड़ा,
मछलीपट्टनम, कृष्णा ज़िला,
आंध्र प्रदेश।

19 मई, 1978 को रुस्तम बाड़ा, वार्ड नं. 12, बांदर टाउन, कृष्णा ज़िले में एक गंभीर आग दुर्घटना हुई जिसमें 23 मकान जल गए और 6 वर्ष की एक बालिका की जल कर मृत्यु हो गई। श्री बाथिना भूमनन्दम चारों ओर से आग द्वारा घिरे हुए मकान में घुस गए और अकेले ही एक गर्भवती महिला, दो वृद्ध व्यक्तियों तथा पांच बच्चों को आग से बचाने में सफल हो गए।

श्री बाथिना भूमनन्दम ने अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए जलते हुए मकान में से 8 व्यक्तियों की बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

3. श्री चिरयिलवलेल थामस जैकब,
केलाचन्द्र, वेलियपरम्बिल वीडू,
चिंगवनम, कोट्टयम ज़िला,
केरल।

7 दिसम्बर, 1978 को दोपहर बाद लगभग 1.30 बजे एम. टी. सेमिनरी हाई स्कूल की दो छात्राएं, कुमारी ललिता (16 वर्ष) और कुमार गिगी जार्ज (13 वर्ष) खाना खाने के बाद अपने हाथ तथा बर्तन धोने के लिए नागमपदम के पास मीनाचिल नदी के तट पर गईं। हाथ धोते समय कुमारी गिगी जार्ज अचानक फिसल कर नदी में गिर पड़ी और डूबने लगी। यह देखकर किनारे पर मौजूद बच्चों ने शोर मचाया। कुमारी ललिता ने, जो कुमारी जार्ज के साथ गई थी, अपने साथी को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी परन्तु वह सफल न हो सकी और दोनों डूबने की स्थिति में थीं। श्री चिरयिलवलेल थामस जैकब ने, जो उस समय पास वाले कम्पाउंड में थे, शोर को सुना और तुरन्त नदी की ओर दौड़े। वे नदी में कूद पड़े, उन्होंने पहले कुमारी ललिता की और फिर कुमारी जार्ज को डूबने से बचा लिया।

श्री चिरयिलवलेल थामस जैकब ने अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए दो लड़कियों को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

4. कुमारी लिजी आंगस्टिन,
तिमुरियिल वीडू (पुथेन वीडिल),
वार्ड नं. 14, पलाई,
कोट्टयम ज़िला,
केरल।

2 नवम्बर, 1978 को कुमारी मीमा जार्ज (5 वर्ष) और आंजी जोसेफ (6 वर्ष) नामक दो बालिकाएं अपनी माताओं के साथ पलाई में लालम चैनल के एक घाट पर नहा रही थीं। नहाते समय, सीमा जार्ज अकस्मात फिसल गई और पानी की तेज धारा उसे गहरे पानी की ओर बहा ले गई और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। इस घटना को देखकर दूसरी बालिका आंजी जोसेफ भी अपनी सहेली को बचाने के लिए गहरे पानी में कूद पड़ी। वह इस कार्य में सफल नहीं हुई और दोनों बालिकाएं डूबने की स्थिति में थीं। उनकी माताएं भी उनके पीछे नहर में कूद पड़ीं, किन्तु अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ न कर सकीं और उन्हें स्वयं भी डूबने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। कुमारी लिजी ओगस्टिन ने, जो उस समय नहर में नहा रहीं थीं, इस घटना को देखा और गहरे पानी में कूद पड़ीं और तैर कर बच्चों की तरफ गईं। उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें किनारे पर ले आईं। इसके बाद उन्होंने तौलिया फैंक कर, जिसका एक छोर उन्होंने खुद पकड़ रखा था, महिलाओं में से एक को बचा लिया। नहर के दूसरे वाले किनारे पर उगे हुए एक पौधे को पकड़े हुए दूसरी महिला की उस समय तेज धारा के कारण पकड़ ढीली पड़ गई और वह पानी के साथ बहने लगी। कुमारी लिजी फिर चैनल में कूद पड़ीं और उस महिला को सुरक्षित किनारे पर ले आयीं।

कुमारी लिजी ओगस्टिन ने स्वयं अपने जीवन को होने वाले खतरे की परवाह न करते हुए चार प्राणों को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

5. श्री गोविन्द भगवान सावंत, (मरणोपरांत)
ग्राम तथा पोस्ट अकोट,
जिला अकोला,
महाराष्ट्र।

6 अप्रैल, 1980 की रात को 8.00 बजे श्रीमती बसन्ती बाई (37 वर्ष) पानी लेने के लिए कुएं पर गईं। पानी निकालते समय वह अचानक फिसल कर कुएं में गईं। उनका पति भी घटनास्थल पर पहुंच गया और उन्हें बचाने के लिए रस्सी की सहायता से वह कुएं में उतर गया। श्रीमती बसन्ती बाई और और उनके पति की सहायता करने के लिए श्री गोविंद भगवान सावंत भी कुएं में उतर गये और उन्होंने रस्सी की सहायता से बाहर निकालने में उनकी मदद की। इसके बाद वे स्वयं कुएं से बाहर आ रहे थे और बाहर निकलने के लिए उन्होंने लोहे की वह छड़ पकड़ी जिस पर रस्सी टिकी हुई थी। छड़ से उनका हाथ फिसल गया और श्री सावंत कुएं में गिर गये। उसके सिर में चोट लगी और कुएं में ही उनकी दुःखद मृत्यु हो गई।

श्री गोविन्द भगवान सावंत ने स्वयं अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए रात के समय कुएं में से दो व्यक्तियों की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया।

6. कुमार जयदेव दिनकर कुबाल,
मोचेमाड़ गावंभाड़ वाड़ी,
तालुक वेंगुरला,
जिला रत्नागिरि,
महाराष्ट्र।

2 नवम्बर, 1979 को कुमारी पूनम अर्जुन पलव (12 वर्ष), वसन्तला शिवराम पालव (1? वर्ष) और ललिता अंकुश पड़ते (19 वर्ष) नामक तीन लड़कियां नहाने के लिए समुद्र पर गई हुई थीं। नहाते समय वे समुद्र की तेज लहरों के साथ बह गईं और डूबने लगीं। यह देखकर श्री एम संतोष सावंतकर (12 वर्ष) ने कुमार जयदेव दिनकर कुबाल को घटना से सूचित किया। कुमार कुबाल तत्काल समुद्र में कूद पड़े, और तैर कर कुमारी वसन्तला पलव को अर्द्धचेतन अवस्था में तट पर ले आए। वे फिर समुद्र में कूद पड़े और कुमारी ललिता पड़ते को पूर्ण अचेतन अवस्था में किनारे पर ले आए। तीसरी लड़की को बचाया नहीं जा सका क्योंकि वह दिखाई नहीं दी। प्राथमिक चिकित्सा देने पर दोनों लड़कियां होश में आ गईं।

कुमार जयदेव दिनकर कुबाल ने स्वयं अपने जीवन के खतरे की परवाह न करते हुए दो लड़कियों को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

7. एस. गुरदीप सिंह, (मरणोपरांत)
बस्ती नाऊ,
संध्य कालेज के निकट,
जालंधर शहर,
पंजाब।

25 जून, 1979 को एस. गुरदीप सिंह के पिता अपने मकान में एक दीवार बना रहे थे। उनकी पुत्री, कुमारी रानी (13 वर्ष) आवश्यक सामग्री देने में उनकी सहायता कर रही थी। कुमारी रानी मकान के आंगन में लोहे की एक लम्बी छड़ ले जा रही थी और असामान्य लंबाई और भार के कारण यह छड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और फलस्वरूप नजदीक ही बिजली के एक चालू तार को छू गई और कुमारी रानी को बिजली का झटका लगा। उस समय नजदीक ही खड़े एस. गुरदीप सिंह अपनी बहन को बचाने के लिए तत्काल दौड़ पड़े और अपने नंगे हाथों से बिजली के करंट को अलग कर दिया किन्तु इस कार्य में बिजली लगने से उनकी मृत्यु हो गई।

एस. गुरदीप सिंह ने अपने जीवन का दांव लेकर अपनी बहन का जीवन बचाने में साहस तथा तत्परता का परिचय दिया।

8. कुमारी दीपेन्द्र कौर,
द्वारा कर्नल मोहिन्दर सिंह,
सी-2, ओ. एफ. एफ. डी., पूर्वी रायपुर,
देहरादून,
उत्तर प्रदेश।

2 जून, 1978 को कुछ महिलाएं और बच्चे रायपुर, देहरादून, स्थित ऑर्डनेन्स सीनियर क्लब के तरण ताल में तैरने का आनन्द ले रहे थे। कुमारी दीपेन्द्र कौर तैरने के बाद किनारे पर आराम कर रही थीं। उसी समय कुमारी शोभा नाम की दूसरी बालिका ने कुमारी वोहरा की सहायता के लिए चिल्लाते हुए देखा। कुमारी दीपेन्द्र कौर ने सोचा कि कुमारी वोहरा उल्टा होकर तैरने का प्रयत्न कर रही थी और अपने तैरने के ढंग की ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन कुछ समय बाद कुमारी कौर समझ गई कि कुमारी वोहरा डूबने की स्थिति में चिल्लाते हुए गहरे पानी की तरफ बहती जा रही थी और उसके केवल बाल ही दिखाई दे रहे थे। अच्छी तैराक न होने के बावजूद, कुमारी कौर पानी में कूद पड़ी और तैरकर उसने डूबती हुई बालिका को पकड़ लिया। किन्तु तभी कुमारी वोहरा ने अपने रक्षक को कसकर पकड़ लिया जिससे दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया। लेकिन किसी प्रकार, कुमारी कौर कुमारी वोहरा को घसीट कर किनारे पर ले आईं। कुमारी वोहरा को बचाने के प्रयास में कुमारी कौर की टांग की हड्डी टूट गई और उसे अस्पताल दाखिल करना पड़ा।

कुमारी दीपेन्द्र कौर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कुमारी वोहरा को डूबने से बचाने में साहस, सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया।

9. श्री सुरजीत सिंह,
गांव तरवाड़ी,
पट्टी भरदार,
जिला टिहरी गढ़वाल,
उत्तर प्रदेश।

11 मई, 1979 को राजकीय इंटर कालेज, रुद्रप्रयाग, का एक छात्र श्री बलवन्त सिंह, अपने मित्रों के साथ मंदाकिनी नदी के पुल से ऊपर की ओर स्नान कर रहा था। अचानक वह फिसलकर गहरे पानी में गिर पड़ा और नदी की तेज धारा उसे लगभग 200 मीटर तक बहा कर ले गई। श्री सुरजीत सिंह नदी में कूद पड़े और उन्होंने श्री बलवन्त सिंह को डूबने से बचा लिया।

श्री सुरजीत सिंह ने अपनी जान की परवाह किये बिना, श्री बलवन्त सिंह का जीवन बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

10. श्री खांगा मिचिचि,
गांव और डाकखाना तेजू,
जिला लोहित,
अरुणाचल प्रदेश।

3 अक्तूबर, 1979 से लगभग एक पखवाड़े तक लोहित जिले में अभूतपूर्व बाढ़ आई हुई थी। 7 अक्तूबर, 1979 को 8 वर्ष का एक बालक भयंकर लोहित नदी में गिर पडा और नदी की तेज धारा में बह गया। श्री खांगा मिचिचि ने इस घटना को देखा और वे उफनती हुई नदी में कूद पडे और डूबते हुए बालक के पीछे-पीछे तैरते चले गए। लम्बे समय तक जीवन और मृत्यु संघर्ष करने के बाद उन्होंने उस बालक को पकड़ लिया और अंत में उसे किनारे पर ले आये। उसके बाद उस बालक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उसे आक्सीजन का उपचार दे कर बचा लिया गया।

श्री खांगा मिचिचि ने अपनी जान की परवाह किए बिना बालक को डूबने से बचाने में साहस और तत्परता का परिचय दिया।

11. नं. 1457600 लांस नायक दर्शन सिंह,
विशेषज्ञ प्रशिक्षण बटालियन (डिपो),
बी ई जी और केन्द्र,
रुड़की।

18 जून, 1979 को उत्तर प्रदेश के आसफनगर गांव में एक बारात आई हुई थी। बारात के साथ आया हुए पप्पू नामक एक लड़का आसफनगर पुल के पास अचानक गंगा नहर में गिर पड़ा और तेज धारा बहने ही वाला था। बारात के साथ आया जग्गू नामक दूसरा लड़का पप्पू को बचाने के लिए नहर में कूद पड़ा किन्तु जब वह डूबते हुए लड़के को खींचने की कोशिश कर रहा था तो पप्पू ने उसको कसकर पकड़ लिया जिससे कि वह कुछ करने में असमर्थ हो गया। इस तरह दोनों को डूबने का बड़ा खतरा हो गया।

उस समय आसफनगर पुल के पास मैदान में मेप रीडिंग की परीक्षा हो रही थी। उन में से एक परिक्षार्थी, लांस नायक दर्शन सिंह, उन दोनों के जीवन को खतरे में देखकर वर्दी सहित तत्काल पानी में कूद पड़े और तेजी से तैर कर उनके पास पहुंच गये। उन्होंने जग्गू को पप्पू की पकड़ से अलग किया और पप्पू को किनारे पर ले आये। प्राथमिक उपचार के बाद पप्पू को बचा लिया गया। इसी दौरान जग्गू भी तैर कर नहर से बाहर सुरक्षित आ गया।

लांस नायक दर्शन सिंह ने अपने प्रत्यक्ष खतरा देखते हुए भी दो जानों को डूबने से बचाने में पहल, साहस और तत्परता का परिचय दिया।

सु. नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 1981

सं. ए-46011/10-81-स्थापना-I।---इस विभाग के दिनांक 4 मई, 1981 की अधिसूचना सं. ए-46011/10/81-स्थापना I। के क्रम में दिल्ली स्कूल आफ इकोनामिक्स के प्राध्यापक एस. चक्रवर्ती, बचत के कार्यकारी दल के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसे तत्काल लागू माना जाएगा।

सत्यपाल शर्मा
उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अगस्त 1981

विषय: स्व-रोजगार के लिए राष्ट्रीय स्तर संदर्शन समिति की सदस्यता।

सं. एम-12038/1/81-एल.ई.एम.-ई.पी.---योजना आयोग के दि. 8 अप्रैल, 1981 के संकल्प सं. एम-12038/1/81-एल.ई.एम-ई.पी. के पैरा 2 और दि. 22 अप्रैल, 1981 और 12 जून, 1981 की इसी संख्या को अधिसूचनाओं के क्रम में समिति के गठन में निम्नलिखित जोड़े जाएं/संशोधन किए जाएं, अर्थात् :—

(1) क्रम संख्या 20 के बाद निम्नलिखित को क्रम संख्या 21 के रूप में जोड़ा जाए :---

"श्री सी. टी. देवराज,
अध्यक्ष, स्व-रोजगार परिषद्,
पैरामाउंट गार्डन्स,
शालीग्रामम, मद्रास-600093"

(2) समिति के सदस्य-सचिव श्री ए. वी. आर. चार से संबंधित मौजूदा क्रम संख्या 21 को पुनः "22" क्रमांकित किया जाए।

आर. एस. सक्सेना
निदेशक (प्रशासन)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 1981

संकल्प

सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 1981-82 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार अन्य निधियों के अभिदाताओं की 25,000 रुपए तक की कुल जमा रकमों पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) तथा 25,000 रुपए से ऊपर की शेष रकमों पर ब्याज की

दर 8.5 प्रतिशत (साढ़े आठ प्रतिशत) वार्षिक होगी। ये दरें पहली अप्रैल, 1981 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेंगी। सम्बन्धित निधियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
3. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
4. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
5. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
8. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
9. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
10. भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
11. अन्य विविध भविष्य निधियां।

2. उसके अतिरिक्त, अभिदाताओं को अगर उन्होंने पहली अप्रैल, 1979 से लेकर तीन वर्षों में अपने भविष्य निधि के खाते से कोई रकम नहीं निकाली है तो उनकी सम्पूर्ण शेष रकमों पर एक प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाएगा।

आदेश

3. आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

मंगल दास पाल
निदेशक

इस्पात और खान मंत्रालय

खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 1981

सं. 12(19)/81-खान-6—इस मंत्रालय के दिनांक 27-10-1978 के संकल्प संख्या 16(6)/77-खान-5/खान-6/एम.एम. में जो भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में 9 दिसंबर, 1978 को प्रकाशित हुआ था, निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्

"गठन" शीर्षक के अंतर्गत मद "41" को 42 के रूप में पुनः सांख्यांकित किया जाएगा तथा ऐसी पुनः सांख्यांकित मद 42 से पूर्व निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"41 जनता के दो सदस्य (इस्पात और खान) मंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।"

ए. के. वेंकटसुब्रमण्यन
निदेशक

पर्यावरण विभाग

नई दिल्ली, 4 अगस्त 1981

संकल्प

विषय : दून घाटी और गंगा और यमुना के निकटवर्ती जल विभाजक क्षेत्रों के लिए बोर्ड का गठन।

सं. 2/19/81-एच.सी.डी./पर्या.—दून घाटी और गंगा और यमुना के निकटवर्ती जल विभाजक क्षेत्रों के लिए एक बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया है, ताकि विकासात्मक संवेष्टन (पैकेज) का अध्ययन और समीक्षा की जा सके तथा न्यूनतम पर्यावरणीय अपकर्ष से क्षत विकास के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सुझाव दिया जा सके।

2. बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित होंगे :

अध्यक्ष

(1) श्री सी. पी. एन. सिंह,
पर्यावरणीय राज्य मंत्री

सदस्य

(2) डा. एम. एस. स्वामीनाथन,
सदस्य, योजना आयोग

(3) श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी,
पहाड़ी विकास मंत्री,
उ. प्र.

(4) श्री बी. बी. वोहरा,
अध्यक्ष, एन. सी. ई. पी.

(5) श्री त्रिभुवन प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ

(6) श्री अरुण सिंह,
23 ए, निजामुद्दीन वैस्ट,
नई दिल्ली

(7) श्री गुरदयाल सिंह,
99, सैक्टर 8-ए,
चंडीगढ़

(8) डा. एस. जेड. कासिम,
सचिव,
पर्यावरण विभाग

(9) प्रो. रणजीत सिंह,
उद्यान विज्ञान प्रभाग,
~~भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,~~
पूसा रोड,
नई दिल्ली

(10) श्री एन. डी. जयाल,
संयुक्त सचिव,
पर्यावरण विभाग
सदस्य-सचिव

(11) डा. एस. मुद्गल,
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी,
डी. एस. टी.

3. अध्यक्ष को यह प्राधिकार होगा कि वह जब जरूरी समझें, अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं।

4. गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान, जो नियमानुसार देय होगा, पर्यावरण विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(क) इस क्षेत्र की प्रस्तावित विकासात्मक संवेष्टन (पैकेज) परियोजनाओं की समीक्षा करना तथा पर्यावरणीय प्रबन्ध हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों को व्यवस्था करना ताकि क्षेत्रीय संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सके

(ख) पर्यावरण के और अधिक अपघटन को रोकने के लिए और/या पर्यावरण में सुधार करने के लिए न्यूनकारी/सुधारात्मक उपायों का निष्पादन करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र (प्रणाली) का विकास करना।

6. प्रारम्भ में बोर्ड का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से 6 माह के लिए होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति दून घाटी और गंगा और जमुना के निकटवर्ती जल विभाजन क्षेत्रों के बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्यों को प्रेषित की जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन सामान्य की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस. जैड. कासिम
सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 1981

सं. एफ. 12-8/80डेस्क।।। (खेल)---राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थानों की सोसाइटी और इसके शासी निकाय के पुनर्गठन से सम्बन्धित शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की 1 जून, 1979 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खेल एवं शारीरिक शिक्षा) श्री एस. सत्यम को श्री एम. राम मूर्ति के स्थान पर एतद्वारा तत्काल से राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थानों की सोसायटी और इसके शासी बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

शंकर लाल
उप सचिव

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1981

संकल्प

सं एफ-1-41/सी.एस.डब्ल्यू.वी.---भारत सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड साधारण निकाय का तत्काल पुनर्गठन करती है ।

2. कम्पनी के साधारण निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :---

अध्यक्ष

1. श्रीमती सुशीला रोहतगी ।

2. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि ।

1. **राज्य का नाम और प्रतिनिध का नाम**

2. आंध्र प्रदेश--श्रीमती दुर्गा भक्तवत्सल
3. असम--बाद में अधिसूचित किया जाएगा
4. बिहार--श्रीमती शकुन्तला सिन्हा
5. गुजरात--बाद में अधिसूचित किया जाएगा
6. हरियाणा--श्रीमती करतार देवी
7. हिमाचल प्रदेश--श्रीमती चन्द्रेश कुमारी
8. जम्मू और कश्मीर--श्रीमती अकबर जहां बेगम
9. कर्नाटक--श्रीमती आक्टाविया एल्वुकर्क
10. केरल--श्रीमती के. सारदा
11. मध्य प्रदेश--श्रीमती विमला शर्मा
12. महाराष्ट्र--बाद में अधिसूचित किया जायेगा
13. मणिपुर--श्रीमती जयमती देवी कामा
14. मेघालय--श्रीमती वी. डब्ल्यू. इंगति
15. नागालैंड--बाद में अधिसूचित किया जाएगा
16. उड़ीसा--डा. श्रीमती बेलारानी दत्ता
17. पंजाब--श्रीमती रवि जज
18. राजस्थान--प्रो. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत
19. सिक्किम--श्रीमती डी. के. भण्डारी
20. तमिलनाडु--श्रीमती नूरजहां रजाक
21. त्रिपुरा--श्रीमती इला भट्टाचार्य
22. उत्तर प्रदेश--श्रीमती प्रेमवती तिवारी
23. पश्चिमी बंगाल--प्रो. कनक मुखर्जी

केन्द्र शासित प्रदेश

24. पांडिचेरी--श्रीमती शांता बाई कुलकर्णी
25. लक्षद्वीप--श्रीमती चंद्रलेखा नायर
26. दादरा और नागर हवेली--बाद में अधिसूचित किया जायेगा

3. **संसद के प्रतिनिधि**

लोक सभा

27. श्रीमती गुरबिन्दर कौर बरार
28. श्रीमती सुशीला गोपालन

राज्य सभा

29. बाद में अधिसूचित किया जायेगा

4. **समाज वैज्ञानिक सामाजिक कार्य शिक्षक), समाज कल्याण प्रशासक एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता**

30. श्रीमती सुप्रीति सान्याल, कलकत्ता
31. श्रीमती नीरा डोगरा, गोहाटी
32. श्रीमती आर. सी. असरानी, नई दिल्ली
33. श्रीमती ललिता नारायण, नई दिल्ली
34. बाद में अधिसूचित किया जायेगा
35. बाद में अधिसूचित किया जायेगा
36. बाद में अधिसूचित किया जायेगा
37. बाद में अधिसूचित किया जायेगा
38. बाद में अधिसूचित किया जायेगा

5. **भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनिधि**

39. वित्त--श्री जे. ए. कल्याण कृष्णन, वित्त सलाहकार
40. योजना आयोग--श्रीमती पी. पी. त्रिवेदी, सलाहकार (एस. पी.)
41. ग्रामीण पुनर्निर्माण--श्री जी. एल. बेलूर, संयुक्त सचिव
42. शिक्षा--श्री एस. सत्यम, संयुक्त सचिव (स्कूल)
43. समाज कल्याण--श्रीमती निर्मला बुच, संयुक्त सचिव
44. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण--बाद में अधिसूचित किया जाएगा

6. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड**

45. कार्यकारी निदेशक—पदेन

3. बोर्ड का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1983 तक होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2. समस्त राज्य सरकारें/केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. प्रधानमंत्री का कार्यालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय।
9. प्रेस सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
10. लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी, विधि बोर्ड, कानपुर।
13. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
15. सभी राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

निर्मला बुच
संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अगस्त 1981

संकल्प

विषय : दूरसंचार सेवा पुनरीक्षण समिति---कार्यकाल बढ़ाया जाना।

सं. ए-42011/3/81-सी. एण्ड पी.---इस मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 1981 के संकल्प संख्या ए-42011/3/81-सी. एण्ड पी. के सिलसिले में निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त समिति का कार्यालय 30 नवम्बर, 1981 तक बढ़ा दिया जाए।

सु. कु. घोष, सचिव

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारणकी सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. थामस कोरा
अपर सचिव

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1981

संकल्प

सं. 1(7)/80-पी. पी.---वर्तमान स्थूल मूल्यांकन के अनुसार, देश के अन्ततः सृजनीय कुल सिंचाई क्षमता का अनुमान 113 मिलियन हैक्टेयर लगाया गया है। यह माना जाता है कि कुछ नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त जल के संचयन तथा समुपयोजन द्वारा और नदियों को आपस में जोड़कर उस जल का अन्तरण जल की कमी वाले क्षेत्रों में करके इस क्षमता में काफी वृद्धि की जा सकती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और ऐसी योजना बनाने के बारे में संसद तथा उसके बाहर निरन्तर की जा रही मांग की पूर्ति के लिए सिंचाई मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास की एक राष्ट्रीय दीर्घकालीन योजना तैयार की है। इस राष्ट्रीय दीर्घ-कालीन योजना के दो मुख्य भाग हैं, अर्थात् (1) हिमालय की नदियों का विकास और (2) प्रायद्वीपीय नदियों का विकास।

2. दीर्घकालीन योजना के प्रायद्वीपीय नदियों के विकास से संबंधित भाग का कार्यान्वयन हम स्वयं कर सकते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में बहने वाली नदियां देश के अन्दर ही हैं और इसके लिए पड़ोसी देशों का सहयोग अथवा सहमति अपेक्षित नहीं है। इसलिए संभव संचयन जलाशय स्थलों तथा अन्तर्योजक कड़ियों (लिंक्स) का विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करने और इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम हाथ में लेने का निर्णय किया गया है। विलम्ब से बचने और विभिन्न राज्यों से पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए यह काम केन्द्रीय सरकार द्वारा करवाना आवश्यक समझा गया है। इस प्रयोजन से "राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण" के नाम से एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना करने का निर्णय किया गया है। जिसे सोसाइटी पंजीयन अधि-नियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में पंजीयत किया जाएगा और जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

3. केन्द्रीय सिंचाई मंत्री इस सोसाइटी के अध्यक्ष और केन्द्रीय सिंचाई राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। योजना आयोग के एक सदस्य, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य मंत्री अथवा सिंचाई के कार्यभारी मंत्री, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल/सिंचाई के कार्यभारी मंत्री, केन्द्रीय कृषि (कृषि विभाग), सिंचाई, ऊर्जा (विद्युत विभाग), नागर विमानन वित्त (व्यय विभाग), योजना आयोग तथा पर्यावरण विभागों के सचिव, भारतीय भू-वैज्ञानिक विभाग के महा निदेशक तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग में "जल संसाधन" और "अभिकल्प तथा अनुसंधान" के कार्यभारी सदस्य, भारतीय मौसम-विज्ञान के महा निदेशक और राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन अभिकरण के निदेशक इस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य होंगे। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के महा निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे।

4. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) सिंचाई मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधनों के विकास के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय दीर्घकालीन योजना के भाग के रूप में प्राय-द्वीपीय नदियों के विकास के प्रस्तावों की व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए संभव संचयन जलाशयों स्थलों

और अन्तर्योजक कड़ियों का विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

(ख) इस बात का विस्तृत अध्ययन करना कि विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में जल की ऐसी कितनी अतिरिक्त मात्रा है, जिसे भविष्य में बेसिन राज्यों की युक्तिसंगत मांग को पूरा करने के बाद अन्य बेसिनों/राज्यों को अंतरित किया जा सकता है।

(ग) प्रायद्वीपीय नदियों के विकास से संबंधित स्कीमों के विभिन्न भागों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

(घ) वे सब काम करना जिन्हें अभिकरण उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक, पूरक या सहायक समझे।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का एक शासी निकाय होगा, जिसका गठन इस प्रकार होगा :

अध्यक्ष

1. सचिव, सिंचाई मंत्रालय

सदस्य

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो।

3. ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो।

4. कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के सचिव का या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो।

5. नागर विमानन मंत्रालय के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो।

6. पर्यावरण विभाग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो।

7. योजना आयोग के सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो।

8. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग।

9. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड।

10. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

11. सदस्य (जल संसाधन), केन्द्रीय जल आयोग।

12. सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग।

13. भारतीय मौसम-विज्ञान के महानिदेशक या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर का न हो।

14. सलाहकार (पी. पी.), सिंचाई मंत्रालय।

15. आंध्र प्रदेश के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

16. गुजरात के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

17. कर्नाटक के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

18. मध्य प्रदेश के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

19. महाराष्ट्र के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

20. उड़ीसा के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

21. राजस्थान के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

22. तमिलनाडु के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

23. उत्तर प्रदेश के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

24. केरल के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

25. गोवा, दमन और दीव के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

26. पांडिचेरी के सिंचाई सचिव या उनका प्रतिनिधि जो मुख्य इंजीनियर से नीचे के स्तर का न हो।

सदस्य-सचिव

27. महा निदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सदस्य-सचिव को छोड़कर, जो पूर्ण समय के लिए होंगे, अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य अंश-कालिक आधार पर कार्य करेंगे।

6. अभिकरण अपने कार्य संचालन के लिए नियम और विनियम स्वयं बनाएगी।

7. इस अभिकरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति सिंचाई मंत्रालय के बजट से की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ भेजा जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे सार्वजनिक सूचना के लिए इसे राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

पी. के. आचार्य
सलाहकार

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, tbe 18th September 1981

No. 63-Pres./81.—The President is pleased to approve the award of "Uttam Jeevan Raksha Padak" to the undermentioned person :—

60593 Trainee Shri Tsering Chheompbel (*Posthumous*)
Tibetan New Settlement,
House No. 13, Camp No. 4, Pemagong,
P. O. Bylakuppe.
Karnataka.

On the 7th April, 1980, Trainee Shri Tsering Chheomphel was working at the Mechanical Transport Park of the establishment. A few children of civilians working in the Headquarters and living next to the battalion lines were playing on the roadside. One of the children named Deepak slipped, rolled down the slopes of the hill and had clung to a bush. Shri Chheomphel saw the child falling, rushed to tbe spot, pulled the child up but in the process he himself lost the balance and fell down a vartical fall of about 92 metres and died on the spot.

Shri Tsering Chheompbel displayed courage and promptitude under circumstances of great danger to his life in saving the child.

No. 64-Pres./81.—The President is pleased to approve the award of "JEEVAN RAKSHA PADAK" to tbe undermentioned persons :—

1. 9082282 Rifleman Tirath Singh,
11 JAK Light Infantry,
C/o 99 APO.

On the 21st July, 1979, a one ton vehicle belonging to an Infantry Brigade was crossing the Durungli Nullah towards Nagali in Jammu and Kashmir. Due to a flasb flood, the vehicle was swept off the causeway and fell into tbe swift moving water. Consequently the occupants and valuable equipment in the vehicle were being swept away.

Rifleman Tirath Singh was on annual leave during the period and was sitting on the roof of his house. When he noticed that the vehicle was being swept away, he ran to the site of accident and jumped into the swollen nullab to help the ill fated personnel. He rescued two of the occupants of the vehicle, himself sustaining injuries in the process. Regardless of his injuries, he also salvaged most of the valuable equipment which was being swept away.

Rifleman Tirath Singh displayed courage and promptitude in saving two lives besides salvaging valuable equipment.

2. Shri Bathina Bhumanandam,
Door No. 12/402, Rustumbada,
Machilipatnam, Krishna District,
Andhra Pradesh.

On the 19th May, 1978, there was a serious fire accident at Rustumbada, Ward No. 12 of Bander Town in Krisbna District, in which 23 bouses were gutted and a girl aged 6 was charred to death. During this fire accident Shri Bathina Bhumanandam rusbed into a house encircled by fire and managed to rescue one pregnant lady, two old men and five children single handed.

Shri Bhatina Bhumanandam displayed courage and promptitude in rescuing eight lives from a bouse on fire, in disregard of the risk involved to his own life.

3. Shri Cbirayilvalel Thomas Jacob,
Kelachandra, Valiaparambil Veedu,
Chingavanam, Kottayam District,
Kerala.

On the 7th December 1978 at about 1.30 P.M., two pupils named Kumari Lalitha (16 years) and Kumari Gigi George (13 years) of M. T. Seminary High School went to the Meenachil river side near Nagampadom to wash their hands and vessels after taking food. While washing her hands, Kumari Gigi George accidentally slipped and fell into the river and began to drown. Seeing this the children present on the bank raised a loud alarm. Kumari Lalitha, who had accompanied Kumari George, jumped into the river to rescue her companion but did not succeed and both of them were in a state of drowning. Shri Chirayilvalel Thomas Jacob, who was then in the nearby compound, heard the alarm and immediately ran to tbe river bank. He jumped into the river and saved Kumari Lalitha first and tben Kumari George from drowning.

Shri Chirayilvalel Thomas Jacob displayed courage and promptitude in saving two lives from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

4. Kumari Lizzey Augustin,
Thymuriyil Veedu (Puthen Veedil),
Ward No. 14, Palai,
Kottayam District,
Kerala.

On the 2nd November 1978, two children named Kumari Seema George (5 years) and Aji Joseph (6 years) were bathing at a ghat in Lalum Channel in Palai along with their mothers. While bathing, Kumari Seema George accidentally slipped and was dragged into the deep zone by the strong current and began to struggle for her life. The other girl Aji Joseph noticing the accident also jumped into the deep water for rescuing her friend. Sbe did not succeed and both of them were in a state of drowning. Their mothers also followed them but they could not do anything to save their children and themselves faced the danger of getting drowned as they did not know swimming. Kumari Lizzey Augustin, who happened to be bathing in the channel at that time, saw the incident, jumped into the deep water and swam towards the children. She got hold of the cbildren and brougbt tbem to the bank. Thereafter she rescued one of the women by extending a towel witb one end held by her. The otber woman, who was then bolding on a plant growth on the bank of tbe cbannel down stream, lost her hold owing to strong current and bagan to drift. Kumari Lizzey then jumped into the Channel again and brought that woman also to safety.

Kumari Lizzeey Augustin displayed courage and promptitude in saving four lives from drowning, in disregard of the risk involved to her own life.

5. Shri Govind Bhagwan Sawant (*Posthumous*)
At & Post Akot.
District Akola,
Maharashtra.

On the 6th April 1980 at 8 P.M., Shrimati Basantibai (37 years) went to the well to fetch water. While drawing water, she suddenly slipped and fell into the well. Her husband also came to the spot and got into the well with the help of a rope to rescue her. To assist Shrimati Basasntibai and her husband, Shri Govind Bhagwan Sawant also got into the well and helped them to get out by using the rope. Thereafter he himself was coming out of the well and for stepping out of it, he got hold of the iron bar on which pully is rested. His hand slipped therefrom and Shri Sawant fell into the well. He received head injury and met his tragic death in the well itself.

Shri Govind Bhagwan Sawant displayed courage and promptitude in rescuing two persons from the well, unfindful of his personal safety.

6. Kumar Jaydeo Dinkar Kubal,
Mochemad Machimar Wadi,
Tal. Vengurla,
District Ratnagiri,
Maharashtra.

On the 2nd November 1979, three girls named Prema Arjun Palav (12 years), Vastala Shivaram Pala (13 years) and Lalita Shankar Padate (9 years) bad gone to the sea for bathing. While taking bath they were swept away with the waves of the sea and began to drown. Seeing this Shripad Mangesh Kbavanekar (12 years) informed Kumar Jaydeo Dinkar Kubal about the incident. Kumar Kubal immediately jumped into tbe sea, swam and brought Kumari Vastala Palav to the shore in seni conscious condition. He again jumped into the sea and brought Kumari Lalita Padate on the shore in complete unconscious state. The tbird girl could not be saved as she was not visible. Both the girls regained consciousness on rendering first aid.

Kumar Jaydeo Dinkar Kubal displayed courage and promptitude in saving two girls from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

7. S. Gurdip Singh, (*Posthumous*)
Basti Nau,
Near Evening College,
Jullundur City,
Punjab.

On the 25th June, 1979, S. Gurdip Singh's father was constructing a wall in his house. He was being helped by his daughter, Kumari Rani (13 years) by handing him the required material. Kumari Rani was carrying a lengthy iron rod in the courtyard of the house and due to its abnormal length and weight, the iron rod became uncontrollable and as a result it touched the electric live wire passing nearby and Kumari Rani got an electric shock. S. Gurdip Singh, who was standing nearby at that time, immediately ran to rescue his sister and disconnected the electric current with his naked hand but he was himself electrocuted in the process.

S. Gurdip Singh displayed courage and promptitude and saved the life of his sister at the cost of his own life.

8. Kumari Dipendra Kaur,
C/o Col. Mohinder Singh,
C-2, O.F.F.D., East Raipur,
Dehradun,
Uttar Pradesh.

On the 2nd June, 1978, some ladies and children were enjoying swimming at the Taran Tal of Ordnance Senior Club in Raipur, Dehradun. Kumari Dipendra Kaur was taking rest at the bank of the Tal after swimming, when another girl, named Kumari Shova, saw Kumari Vohra Shouting for help. Kumari Dipendra Kaur thought that Kumari Vohra was making efforts to swim back stroke and she was shouting in order to attract others attention to her style of swimming. However, after sometime Kumari Kaur realized that Kumari Vohra was drifting towards deep water in a state of drowning while shouting and only her hair was visible. Although not too good a swimmer herself, Kumari Kaur jumped into the water, swam and caught hold of the drowning girl. However, Kumari Vohra gripped her rescuer thereby creating danger to both of them but Kumari Kaur managed to drag Kumari Vohra to the bank. Kumari Kaur got her leg fractured in the rescue operation and had to be hospitalized.

Kumari Dipendra Kaur displayed courage, presence of mind and promptitude in saving the life of Kumari Vohra from drowning, disregarding the risk involved to her own life.

9. Shri Surjit Singh,
Village Tarwadi,
Patti Bhardar,
District Tehri Garhwal,
Uttar Pradesh.

On the 11th May, 1979, Shri Balwant Singh, a student of the Government Inter College, Rudraprayag, was taking bath along with his friends in the Mandakini river on the upper side of its bridge. Suddenly he slipped into the deep water and was carried away about 200 metres by the swift current. Shri Surjit Singh jumped into the river and saved Shri Balwant Singh from drowning.

Shri Surjit Singh displayed courage and promptitude in saving the life of Shri Balwant Singh, disregarding the risk involved to his own life.

10. Shri Khanga Michichi,
Village & P.O.—Tezu,
Lohit District,
Arunachal Pradesh.

There was an unprecedented flood in the Lohit District for about a fortnight from 3rd October 1979. On the 7th October, 1979, a boy of 8 years had slipped into the turbulent Denning river and was swept away by the swift current. Shri Khanga Michichi had noticed the incident and he jumped into the river in high spate, chased the drowning boy and after a prolonged struggle with life and death, caught hold of the victim and finally brought him to the bank. Thereafter the boy was rushed to the hospital where he was put on oxygen and was saved.

Shri Khanga Michichi displayed courage and promptitude in saving the boy from drowning, disregarding the risk involved to his own life.

11. 1457600 Lance Naik Darshan Singh,
Specialist Training Battalion (Depot),
BEG & Centre,
Roorkee.

On the 18th June, 1979, a marriage party had come to Village Asafnagar in Uttar Pradesh. A young boy named Pappu, who accompanied the party, accidentally fell into the Ganges Canal near Asafnagar bridge and was on the verge of being swept away by the fast current. Another boy of the marriage party named Jaggu jumped into the canal to rescue the boy, but when he was trying to pull the drowning boy out, the latter clung to him making him ineffective. Both the lives were now in great danger of drowning.

An outdoor examination in Map Reading was, at that time, being conducted near Asafnagar bridge. Lance Naik Darshan Singh one of the examinees, noticing the danger to the two lives promptly jumped into the water with his uniform on, swam fast to reach the place of incident, managed to disengage Jaggu from the hold of Pappu and brought Pappu to the bank. The boy was saved on rendering first aid. In the meantime Jaggu also swam back out of the canal safely.

Lance Naik Darshan Singh displayed initiative, courage and promptitude in saving two lives from drowning in the face of danger to himself.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF PLANNING

(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi-1, the 11th August 1981

No. A-46011/10/81-Estt.II.—In continuation of this Department's Notification No. A-46011/10/81-Estt.II, dated 4th May 1981, Prof. S. Chakravarti of the Delhi School of Economics, Delhi is appointed as a member of the Working Group on Savings with immediate effect.

S. P. SHARMA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110 001, the 31st August 1981

SUBJECT : *National Level Guidance Committee for Self-employment—Membership of the*

No. M-12038/1/81-LEM-EP.—In continuation of para 2 of the Planning Commission's Resolution No. M-12038/1/81-LEM-EP, dated the 8th April 1981 and Notifications of even number dated the 22nd April 1981 nd 12th June 1981, the following additions/amendments may be made in the Composition of the Committee, namely—

(i) After Serial No. 20, the following may be added as serial No. 21 :—

"Shri C. T. Devaraj.
Chairman, Self-employment Council,
Paramount Gardens,
Saligramam, Madras-600093."

(ii) The existing Serial Number '21' relating to Shri A. V. R. Char, Member-Secretary of the Committee be renumbered as "22".

R. S. SAKSENA
Director (Administration)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARATMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 1st July 1981

RESOLUTION

No. F. 6(1)-PD/81.—It is announced for general information that during the year 1981-82, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 9% (nine per cent) per annum upto Rs. 25,000 and at the rate of 8.5%

(eight and a half per cent) per annum on balances in excess of Rs. 25,000. These rates will be in force during the financial year beginning on 1st April 1981. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The State Railway Provident Fund.
3. The General Provident Fund (Defence Services).
4. The Contributory Provident Fund (India).
5. The All India Services Provident Fund.
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Defence Services Officers Provident Fund.
8. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
9. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
10. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
11. Other Miscellaneous Provident Funds.

2. In addition, incentive bonus will be admissible to the subscribers at the rate of one per cent on the entire balance at their credit in case they have not withdrawn any amount from their provident fund account during the preceding three years commencing from 1st April, 1979.

3. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. D. PAL, Director.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 23rd July 1981

No. 12(19)/8-MVI.—In this Ministry's Resolution No. 16(6)/71-MV/MVI/MM, dated 27th October, 1978 published in the Gazette of India, Part I, Section I dated 9th December 1978 following amendments shall be made namely :—

Under the heading "Composition" item "41" shall be renumbered as "42" and before the item "42" as so renumbered, the following item shall be inserted, namely :—

"41. Two members in public life to be nominated by the Minister (Steel and Mines)".

A. K. VENKATASUBRAMANIAN
Director

(DEPARTMENT OF ENVIRONMENT)

New Delhi, the 4th August 1981

SUBJECT :—*Constitution of a Board for DOON VALLEY AND ADJACENT WATERSHED AREAS OF GANGA AND YAMUNA.*

No. 2/19/81-HCT/Env.—It has been decided to constitute a Board for Doon Valley and adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna to study and review the developmental package and suggest guidelines for environmental management for achieving sustained development with minimal environmental degradation.

2. The following shall be the composition of the Board:—

CHAIRMAN

(1) Shri C. P. N. Singh,
Minister of State for
Environment.

MEMBERS

(2) Dr. M. S. Swaminathan,
Member, Planning Commission.

(3) Shri Chander Mohan Singh Negi,
Minister for Hill Development,
U.P.

(4) Shri B. B. Vohra,
Chairman, NCEP.

(5) Shri Tribhuvan Prasad,
Chief Secretary to the Government
of Uttar Pradesh, Secretariat,
Lucknow.

(6) Shri Arun Singh,
23A, Nizamudin West,
New Delhi.

(7) Shri Gurdial Singh,
99, Sector 8-A,
Chandigarh.

(8) Dr. S. Z. Qasim,
Secretary,
Department of Environment.

(9) Prof. Ranjit Singh,
Horticulture Division,
Indian Agricultural Research
Institute, Pusa Road,
New Delhi.

(10) Shri N. D. Jayal,
Joint Secretary,
Department of Environment.

MEMBER-SECRETARY

(11) Dr. S. Maudgal,
Principal Scientific Officer, DST.

3. The Chairman will have the authority to coopt other Members as and when necessary.

4. TA/DA, as per rules admissible, would be met by the Department of Environment for non-official members.

5. The terms of reference of the Board will be :—

(a) Review of the package of proposed developmental projects in this region and provide guidelines for environmental management so as to optimally utilise the regional resources;

(b) Evolve an effective implementation mechanism for executing mitigative/ameliorative measures for checking further environmental degradation and/or improving the environment.

6. The term of the Board shall initially be for a period of six months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all other members of the Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. Z. QASIM, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 20th August 1981

No. F.12-8/80-Desk-III(Sports).—In continuation of Ministry of Education and Social Welfare's Notification of even number dated the 1st June, 1979, regarding reconstitution of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports and of its Board of Governors, Shri S. Sathyam, Joint Secretary (Sports and Physical Education) in the Ministry of Education and Culture, is hereby appointed as a member of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports and of its Board of Governors with immediate effect *vice* Shri S. Ramamoorthi.

SHANKAR LAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 20th August 1981

RESOLUTION

No. 1-41/80-CSWB.—The Government of India is pleased to reconstitute the General Body of the Central Social Welfare Board with immediate effect.

2. The following will be the Members in the General Body of the Company :

I. *Chairman*

1. Smt. Sushila Rohatgi

II. *Representatives of the State Governments/Union Territories* :

Name of the State—Name of the Representative

2. Andhra Pradesh—Smt. Durga Bhaktavatsal.
3. Assam—To be notified later.
4. Bihar—Smt. Shakuntala Sinha.
5. Gujarat—To be notified later.
6. Haryana—Smt. Kartar Devi.
7. Himachal Pradesh—Smt. Chandresh Kumari.
8. Jammu & Kashmir—Smt. Akbar Jahan Begum.
9. Karnataka—Smt. Octavia Albuquerque.
10. Kerala—Smt. K. Sarada.
11. Madhya Pradesh—Smt. Vimla Sharma.
12. Maharashtra—To be notified later.
13. Manipur—Smt. Joymati Devi Comma.
14. Meghalaya—Smt. V. W. Ingty.
15. Nagaland——To be notified later.
16. Orissa—Dr. Smt. Belarani Dutta.
17. Punjab—Smt. Ravi Judge.
18. Rajasthan—Prof. Smt. Nirmala Kumari Shaktawat.
19. Sikkim—Smt. D. K. Bhandari.
20. Tamil Nadu—Smt. Noorjehan Razack.
21. Tripura—Smt. Ila Bhattacharya.
22. Uttar Pradesh—Smt. Premwati Tiwari.
23. West Bengal—Prof. Kanak Mukherjee.

Union Territories :

24. Pondicherry—Smt. Shantha Bai Kulkarni.
25. Lakshadweep—Smt. Chandralekha Nair.
26. Dadra and Nagar Haveli—To be notified later.

III. *Representatives from Parliament*

Lok Sabha

27. Smt. Gurbrinder Kaur Brar.
28. Smt. Suseela Gopalan.

Rajya Sabha

29. To be notified later.

IV. *Social Scientists (Social Work Educators), Social Welfare Administrators and Prominent Social Workers.*

30. Smt. Supriti Sanyal, Calcutta.
31. Smt. Neera Dogra, Gauhati.
32. Smt. R. C. Asrani, New Delhi.
33. Mrs. Lalita Narayan, New Delhi.
34. To be notified later.
35. To be notified later.
36. To be notified later.
37. To be notified later.
38. To be notified later.

V. *Representatives from Ministries/Departments of the Government of India*

39. Finance—Shri J. A. Kalyanakrishnan Financial Adviser.
40. Planning Commission—Smt. P. P. Trivedi (Adviser) (SP).
41. Rural Reconstruction—Shri G. L. Bailur, Joint Secretary.
42. Education—Shri S. Sathyam, Joint Secretary (Schools).
43. Social Welfare—Smt. Nirmala Buch, Joint Secretary.
44. Health and Family Welfare—To be notified later.

VI. *Central Social Welfare Board*

45. Executive Director—Ex-Officio.

3. The tenure of the Board will be upto 30th September 1983.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, New Delhi.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, KANPUR.
14. Executive Director, Central Social Welfare Board. New Delhi.
15. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NIRMALA BUCH, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi-110001, the 31st August 1981

RESOLUTION

SUBJECT : *Telecommunication Services Review Committee—Extension of term*

N-42011/3/81-C&P.—In continuation of this Ministry's Resolution No. A-42011/3/81-C&P dated the 27th of May, 1981, it has been decided to extend the term of the said Committee for a further preiod upto the 30th of November, 1981.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. THOMAS KORA, Addl. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 26th August 1981

RESOLUTION

No. 1(7)/80-PP.—As per present broad assessment, the total ultimate irrigation potential of the country has been estimated as 113 million hectares. It is considered that this can be significantly increased by storing and utilising the surplus waters available in some rivers and transferring them to water deficit regions by interlinking of rivers. In order to achieve this purpose and to meet the persistent demand made in the Parliament and outside to have such a plan, the Ministry of Irrigation and Central Water Commission have formulated the National Perspective for Water Resources Development. The National Perspective has two main components, namely (i) Himalayan Rivers Development and (ii) Peninsular Rivers Development.

2. The Peninsular Rivers Development component of the Perspective can be implemented on our own as the rivers flowing therein are within the country and do not involve any co-operation with or concurrence from the neighbouring

countries. It has, therefore, been decided to take up detailed surveys and investigations of the possible storage reservoir sites as well as inter-connecting links and to prepare feasibility reports of this proposal. To avoid delay and to get the fullest cooperation from the various States, it has been found necessary to get this work done by the Central Government. For this purpose it has been decided to set up an independent organisation to be called "National Water Development Agency" (Rashtriya Jal Vikas Abhikaran) to be registered as a Society under the Societies Registration Act. 1860 with Headquarters at New Delhi.

3. The Society will have the Union Minister for Irrigation as its President and the Union Minister of State for Irrigation as its Vice-President. A Member from the Planning Commission, Chief Ministers/Ministers in-charge of Irrigation of the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, Lt. Governor/Minister-in-charge of Irrigation of the Union Territories of Goa, Daman & Diu and Pondicherry, Secretaries of the Union Ministries of Agriculture (Department of Agriculture), Irrigation, Energy (Deptt. of Power), Civil Aviation, Finance (Department of Expenditure), Planning Commission, and Department of Environment, Director-Generals of the Geological Survey of India and the Survey of India, Chairman of the Central Water Commission, Central Electricity Authority and Central Ground Water Board, Members of CWC in charge of Water Resources and Designs & Research, Director General, Indian Meteorological Department and Director, National Remote Sensing Agency will be founder Members of the Society. The Director-General, National Water Development Agency will be the Member-Secretary,

4. The function of the National Water Development Agency are as below :—

(a) To carry out detailed surveys and investigations of the possible storage reservoir sites and inter-connecting links in order to establish feasibility of the proposals of Peninsular Rivers Development forming part of the National Perspective for Water Resources Development prepared by the Ministry of Irrigation and the Central Water Commission.

(b) To carry out detailed studies about the quantum of water which is surplus in various Peninsular Rivers Systems and which can be transferred to other basins/States after meeting reasonable needs of basin States in the foreseeable future.

(c) To prepare feasibility reports of various components of the schemes relating to Peninsular Rivers Development.

(d) To do all such other things the Society may consider necessary, incidental, supplementary or conducive to the attainment of above objectives.

5. The National Water Development Agency will have a Governing Body, to carry out effectively the objectives set forth above with the composition proposed as below :

Chairman

1. Secretary, Ministry of Irrigation.

Members

2. Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary—Ministry of Finance (Department of Expenditure).
3. Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary—Ministry of Energy (Department of Power).
4. Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary—Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
5. —do— Ministry of Civil Aviaiotn.
6. —do— Department of Environment.
7. —do— Planning Commission.
8. Chairman, Central Water Commission.
9. Chairman, Central Ground Water Board.
10. Chairman, Central Electrieity Authority.
11. Member (WR), Central Water Commission.
12. Member (D&R), Central Water Commission.
13. Director General or his nominee not below the rank of Joint Secretary—India Meteorological Department.
14. Adviser (PP)—Ministry of Irrigation.
15. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Andhra Pradesh.
16. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Gujarat.
17. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Karnataka.
18. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Madhya Pradesh.
19. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Maharashtra.
20. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Orissa.
21. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Rajasthan.
22. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Tamil Nadu.
23. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Uttar Pradesh.
24. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Kerala.
25. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Goa, Daman & Diu.
26. Irrigation Secretary or his nominee not below the rank of Chief Engineer—Pondicherry.
27. Director General, National Water Development Agency—*Member-Secretary.*

Except the Member-Secretary, who will be full-time, the Chairman and all other Members will work on part-time basis.

6. The society shall frame its own Regulations and Rules of Business.

7. The expenditure on the Agency will be met from the budget of the Ministry of Irrigation.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments and the Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller & Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government for information.

2. ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

P. K. ACHARYA, Adviser.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981